2012:CGHC:8856-

प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 282/2007

जुगु जैन उर्फ विजय कुमार जैन
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-

आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

मैं सहमत हूँ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 08-08-2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

2012:CGHC:8856-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 282/2007

अपीलार्थी जुगु जैन उर्फ विजय कुमार जैन, पिता - बाबूलाल जैन, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी - बोरई, थाना - पुलगांव, जिला - दुर्ग। वर्तमान निवासी - भरकापारा, थाना - सिटी कोतवाली, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 08 अगस्त, 2012 को उद्घोषित किया गया)

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रदत्त:

यह अपील सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2006 में पारित दिनांक 13-03-2007 के निर्णय के विरुद्ध संस्थित किया गया है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अभियुक्त/ अपीलार्थी जुगु जैन उर्फ विजय कुमार जैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिद्धहदोष ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदंड की से दंडित किया है, और अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में, 4 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड का भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है:-

अपीलार्थी जुगु जैन उर्फ विजय कुमार जैन, मृतका अलका जैन का जेठ (पति का बड़ा भाई) था। मृतका अलका जैन, अंकुश जैन (अ.सा.-17) की माँ थी। दिनांक 04-06-2006 को सुबह लगभग 8:00 बजे, अंकुश जैन गीले कपड़े सुखाने के लिए छत पर गया, लेकिन उसे वहां कपड़े सुखाने का तार नहीं मिला। उसने अपनी माँ (मृतका) से उस तार के बारे में पूछा जो वहां लंबे समय से लगा हुआ था। मृतका अपीलार्थी के पास गई और तार के बारे में पूछताछ की। अपीलार्थी ने यह कहते हुए कि मृतका रोज झगड़ा करती है और वह उसे नहीं छोड़ेगा, अपने घर से एक टांगिया (कुल्हाड़ी) लाया और मृतका के सिर पर उससे वार किया, जिससे मृतका बेहोश हो गई। अंकुश जैन (अ.सा.-17) ने अपने मामा अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) को बुलाया। अंकुश जैन, अशोक कुमार जैन और ओमप्रकाश साहू (अ.सा.-4) मृतका को शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव ले गए। डॉ. अनिल डी. महाकालकर (अ.सा.-14) ने मृतका का उपचार किया। उन्होंने पुलिस चौकी, शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव को सूचित किया। पुलिस अस्पताल पहुंची और अंकुश जैन ने दिनांक 04-06-2006 को ही सुबह लगभग 9:50 बजे देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-21) दर्ज कराई। उपचार के दौरान मृतका की मृत्यु हो गई। इसके बाद मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-8) दर्ज की गई। उसी दिन थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-25) भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी जिला अस्पताल, राजनांदगांव पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-6) दिया और मृतका के शव का मृत्यु -समीक्षा तैयार किया। शव को शव-विच्छेदन परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव भेजा गया। डॉ. आर.आर. मंडाले (अ.सा.-12) ने शव- विच्छेदन परीक्षण किया और अपनी प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-12) दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) खोपड़ी के सामने के हिस्से पर 3 इंच लंबा लंबवत टांकों वाला घाव।

(ii) बाएं कलाई के जोड़ पर 1 इंच लंबा टांकों वाला घाव।

(iii) पेल्विक बोन (श्रोणि अस्थि) पर 1x1 सेमी की खरोंच।

खोपड़ी के सामने के हिस्से में कंपाउंड अस्थिभंग मौजूद था। डॉक्टर ने राय दी कि मृत्यु का कारण सिर के सामने के हिस्से में आई चोट और अत्यधिक रक्तस्राव था।

आगे की विवेचना में, सहायक उप-निरीक्षक आर.के. मेरावी (अ.सा.-19) द्वारा घटना स्थल का नक्शा (प्र.पी.-3) तैयार किया गया। एक अन्य घटना स्थल का नक्शा (प्र.पी.-4) पटवारी तुलसीदास वैष्णव (अ.सा.-11) द्वारा तैयार किया गया। प्र.पी.-7 के माध्यम से

रक्तरंजित कुल्हाड़ी, सादी मिट्टी और रक्तरंजित मिट्टी जब्त की गई। अपीलार्थी को दिनांक 14/06/2006 को प्र.पी.-10 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी की निशानदेही पर रक्तरंजित बनियान और लुंगी प्र.पी.-9 के माध्यम से जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुओं को परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहाँ से रिपोर्ट (प्र.पी.-26) प्राप्त हुई।

विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव की अदालत में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव की न्यायालय को उपार्जित कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण का विचारण किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष ठहराया और दंडित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा ने यह तर्क दिया कि अंकुश जैन (अ.सा.-17) एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी है; वह एक बालक है और उसे सिखाया-पढ़ाया गया है; उसका साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय नहीं है; इसलिए, एक बाल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी को मृतका द्वारा उकसाया गया था; अपीलार्थी और मृतका के बीच अपशब्दों का आदान-प्रदान हुआ था; यदि पूरे मामले को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंड का पात्र नहीं होगा; इसके जगह , वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दंड का दायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेंद्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2006 के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

6. अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से अंकुश जैन (अ.सा.-17) की साक्ष्य पर आधारित है।

7. अंकुश जैन (अ.सा.-17) ने अपने साक्ष्य में कहा कि अपीलार्थी उसके पिता का बड़ा भाई है और मृतका उसकी माँ थी। घटना के दिन सुबह लगभग 7:00-7:30 बजे वह और उसकी माँ (मृतका) घर पर मौजूद थे। मृतका तार के बारे में पूछने के लिए अपीलार्थी के घर गई। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। अपीलार्थी ने मृतका पर टंगिया से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और चोट से खून बहने लगा। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने अपने मामा, अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) को बुलाया। वह और अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) मृतका को शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव ले गए। उसने यह साक्ष्य दिया कि इलाज के दौरान दोपहर लगभग 1:00-1:30 बजे मृतका की मृत्यु हो गई। उसने यह भी साक्ष्य दिया कि घटना के समय अपीलार्थी मृतका के घर के सामने रहता था। पुलिस अस्पताल में आई, जहाँ उसने देहाती नालिशी (प्र.पी.-21) दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **दत्तू रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 5 एस.सी.सी. 341** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यदि कोई बाल साक्षी तथ्यों पर साक्ष्य देने में सक्षम और विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसा साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत बाल साक्षी के साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वह साक्षी प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल साक्षी के साक्ष्य की ग्राह्यता और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल साक्षी के साक्ष्य का परीक्षण करते समय न्यायालय को केवल यही सावधानी बरतनी चाहिए कि साक्षी विश्वसनीय हो, उसका आचरण किसी भी अन्य सक्षम साक्षी की तरह हो और उसके सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना न हो।" इसी सिद्धांत का अवलंब आगे **निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1460** में लिया गया है।

9. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश और अन्य, (2011) 4 एस.सी.सी. 786** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "7. **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 54 : 1952 क्रि.लॉज. 547** के मामले में, इस न्यायालय ने शपथ अधिनियम, 1873

की धारा 5 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के प्रावधानों का परीक्षण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि (ए.आई.आर. पृ. 55, कंडिका 7) प्रत्येक साक्षी साक्ष्य देने के लिए तब तक सक्षम है, जब तक कि न्यायालय यह न माने कि वह कम आयु, अत्यधिक वृद्धावस्था, शरीर या मस्तिष्क की बीमारी या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से पूछे गए प्रश्नों को समझने या उनके तर्कसंगत उत्तर देने से वंचित है। वास्तव में, साक्ष्य देने की सक्षमता सदैव विद्यमान रहती है, जब तक कि न्यायालय इसके विपरीत विचार न करे। न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (ए.आई.आर. पृ. 56, कंडिका 11)"

"11. .... यह वांछनीय है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को सदैव अपना यह मत दर्ज करना चाहिए कि बच्चा सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह भी बताना चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं, अन्यथा साक्षी की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करना आवश्यक हो सकता है। परंतु, जहाँ औपचारिक प्रमाण पत्र मौजूद न हो, वहाँ मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश वास्तव में उस मत के थे या नहीं, इसका अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **मंगू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 959 : 1995 क्रि. लॉ ज. 1461** में, इस न्यायालय ने बाल साक्षी के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि "बालक को सिखाने-पढ़ाने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, तथापि केवल इसी आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता कि बाल साक्षी को सिखाया-पढ़ाया ही गया होगा। न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि बालक को सिखाया गया है या नहीं। इसका पता साक्ष्य के परीक्षण और उसकी अंतर्वस्तु से लगाया जा सकता है कि क्या उसमें सिखाए जाने के कोई संकेत मौजूद हैं।"

9. पंची बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एस.सी.सी. 177: 1998 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 1561 : ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 2726 में, इस न्यायालय ने अपने पूर्व के कई निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित की कि "एक बाल साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसका पर्याप्त संपोषण होना आवश्यक है। हालाँकि, यह विधि के नियम से अधिक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का नियम है। यह नहीं माना जा सकता कि:

'बाल साक्षी का साक्ष्य सदैव अपरिवर्तनीय रूप से कलंकित माना जाएगा। विधि यह नहीं है कि यदि कोई साक्षी बच्चा है, तो उसके साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए, भले ही वह विश्वसनीय पाया जाए। विधि यह है कि बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और अधिक सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों की बातों में आने के प्रति संवेदनशील होता है और इस प्रकार एक बाल साक्षी को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जा सकता है' (एस.सी.सी. पृ. 181, कंडिका 11)"

10. *निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (2008) 12 एस.सी.सी. 565 : (2009) 1 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 454 : ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1460 में, इस न्यायालय ने बाल साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी. पृ. 567-68, कंडिका 10)

"10.....'...7..... इस प्रश्न पर निर्णय कि क्या बाल साक्षी के पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता है, मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो उसके व्यवहार, उसकी स्पष्ट समझ या बुद्धिमत्ता की कमी को देखता है, और उक्त न्यायाधीश किसी भी ऐसे परीक्षण का सहारा ले सकता है जिससे साक्षी की क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ की बाध्यता के प्रति उसकी समझ का पता चल सके। हालाँकि, विचारण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा तब बदला जा सकता है, यदि अभिलेख में संरक्षित तथ्यों से यह स्पष्ट हो कि उसका निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था। यह सावधानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाल साक्षियों को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जा सकता है और वे अक्सर कल्पना की दुनिया में जीते हैं। यद्यपि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी खतरनाक साक्षी होते हैं क्योंकि वे मासूम होते हैं और आसानी से प्रभावित, ढाले और मोड़े जा सकते हैं, लेकिन यह भी एक स्वीकृत मानक है कि यदि उनके साक्ष्य के सावधानीपूर्वक सूक्ष्म परीक्षण के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इसमें सच्चाई की छाप है, तो बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. एक बच्चे के साक्ष्य से यह प्रकट होना चाहिए कि वह सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम था, और न्यायालय प्रतिपरीक्षण के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि क्या बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुछ ऐसा तथ्य सामने ला सके जिससे यह संकेत मिले कि बच्चा सही और गलत में भेद नहीं कर सकता था। न्यायालय उससे प्रश्न पूछकर साक्षी के रूप में उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित कर सकता है और यदि ऐसे कोई प्रश्न न भी पूछे गए हों, तो उसके साक्ष्य से यह समझा जा सकता है कि क्या वह जो कह रहा था उसके निहितार्थों को पूरी तरह समझता था और क्या वह कठिन प्रतिपरीक्षण का सामना करने में विफल रहा। एक बाल साक्षी को शपथ पर साक्ष्य देने की पवित्रता और उससे पूछे जा रहे प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम होना चाहिए। (देखें: हिम्मत सुखदेव वाहुरवाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एस.सी.सी. 712)।

12. ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा मास्टर*, (2010) 12 एस.सी.सी. 324 : (2011) 1 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 381 : ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 3071** में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि यह अकल्पनीय हो कि कम उम्र का बच्चा अपनी स्मृति में तथ्यों को दोहरा नहीं पाएगा। एक बच्चा अपने जीवन में होने वाली असामान्य

घटनाओं के प्रति हमेशा ग्रहणशील होता है और उन घटनाओं को जीवन भर कभी नहीं भूलता। भविष्य में पूछे जाने पर बच्चा उन घटनाओं को सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दोहराने में सक्षम हो सकता है। यदि बच्चा अपराध की सुसंगत घटनाओं को बिना किसी सुधार या मिर्च-मसाला लगाकर बताता है, और वे न्यायालय में विश्वास जगाते हैं, तो उसके बयान के लिए किसी भी प्रकार के संपोषण की आवश्यकता नहीं होती। कम उम्र का बच्चा किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष या दुर्भावना रखने में असमर्थ होता है। इसलिए, अभिलेख पर ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे न्यायालय को यह संतोष हो सके कि घटना के दिनांक और बाल साक्षी के साक्ष्य दर्ज होने के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण साक्षी अभियुक्त को गंभीर प्रकृति के मामले में झूठा फंसाना चाहता था।

10. **मोहम्मद कलाम बनाम बिहार राज्य, (2008) 7 एस.सी.सी. 257** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"**7**. *पंची बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (1998) 7 एस.सी.सी. 177 में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि एक बाल साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, परंतु साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा दूसरों की बातों में आने के प्रति संवेदनशील होता है और इस प्रकार एक बाल साक्षी को आसानी से सिखाया-पढ़ाया जा सकता है। न्यायालय को यह आकलन करना होता है कि क्या न्यायालय के समक्ष पीड़ित का कथन उसकी स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है और वह दूसरों के प्रभाव में तो नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) ने साक्ष्य दिया कि उनका भांजा अंकुश जैन (अ.सा.-17) उनके घर आया और उसने उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने मृतका पर हमला किया है। वह तुरंत घटनास्थल की ओर भागे और मृतका को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि मृतका के सिर पर चोट आई थी और वह चोट कुल्हाड़ी से पहुंचाई गई थी। श्रीमती सुषमा जैन (अ.सा.-16) ने साक्ष्य दिया कि अंकुश जैन (अ.सा.-17) उनके पास आया और उसने बताया कि अपीलार्थी ने मृतका पर हमला किया है। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि अंकुश जैन (अ.सा.-17) ने उन्हें बताया था कि उस तार को लेकर विवाद हुआ था जिस पर कपड़े सुखाने के लिए फैलाए गए थे।

12. डॉ. अनिल डी. महाकालकर (अ.सा.-14) ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 04-06-2006 को वह जिला अस्पताल, राजनांदगांव में चिकित्सा अधिकारी (आपातकालीन) के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक 04-06-2006 को अल्का जैन (मृतका) को

चिकित्सीय परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव लाया गया था। उन्होंने घायल अल्का जैन का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.-15) दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं:

i) कपाल (पार्श्व क्षेत्र) पर अनियमित किनारों वाला एक कटा हुआ घाव।

ii) कपाल के पार्श्व क्षेत्र पर 3" X 2" की विस्तृत सूजन।

iii) बाईं कलाई पर 1" X ½" गहरा कटा हुआ घाव।

डॉ. अनिल डी. महाकाल्कर (अ.सा.-14) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने सुबह लगभग 8:15 बजे प्र.पी.-16 के माध्यम से पुलिस चौकी, शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव को सूचना भेजी थी। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि इलाज के दौरान अस्पताल में अल्का जैन की मृत्यु हो गई।

13. घटना का दिनांक और समय, दिनांक 04-06-2006 को सुबह लगभग 8:00 बजे था और उसी दिन सुबह लगभग 9:50 बजे देहाती नालिशी (प्र.पी.-21) दर्ज की गई थी। देहाती नालिशी (प्र.पी.-21) अंकुश जैन (अ.सा.-17) द्वारा दर्ज कराई गई थी। प्र.पी.-21 में हमलावर के रूप में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. घटना सुबह लगभग 8:00 बजे हुई थी। मृतका को तुरंत शासकीय अस्पताल, राजनांदगांव ले जाया गया और डॉ. अनिल डी. महाकाल्कर (अ.सा.-14) ने सुबह 8:15 बजे पुलिस चौकी को सूचना भेज दी थी। इसके पश्चात, विवेचना अधिकारी अस्पताल पहुँचे और अंकुश जैन (अ.सा.-17) द्वारा तुरंत देहाती नालिशी (प्र.पी.-21) दर्ज कराई गई। अंकुश जैन (अ.सा.-17) तुरंत अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) के पास गया और उन्हें घटना का पूरा विवरण दिया। अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और फिर मृतका को अस्पताल ले जाया गया।

15. हमने अंकुश जैन (अ.सा.-17) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। उसने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी ने टांगिया (कुल्हाड़ी) से मृतका पर हमला किया था। उसके साक्ष्य की विधिवत पुष्टि अशोक कुमार जैन (अ.सा.-3) और श्रीमती सुषमा जैन (अ.सा.-16) के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। चिकित्सीय साक्ष्य से, हम पाते हैं कि मृतका की मृत्यु सिर के सामने के हिस्से में चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी और यह प्रकृति में 'मानव वध' थी। अतः, हमें विद्वान सत्र

न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली कि वह अपीलार्थी ही था जिसने मृतका पर टांगिया से हमला किया था और अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई चोट के कारण ही मृतका की मृत्यु हुई थी।

16. अब, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ-साथ धारा 304 के प्रावधानों के आलोक में मामले का परीक्षण करेंगे।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में दी जाने वाली शास्ति के बीच अंतर स्पष्ट करती है जहाँ, मृत्यु कारित करने का आशय मौजूद होने पर वह कृत्य 'हत्या' की श्रेणी में आता, यदि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आया होता; और वे मामले जहाँ अपराध 'हत्या की कोटि में न आने वाला गैर-इरादतन मानव वध' है, अर्थात जहाँ यह ज्ञान तो है कि मृत्यु एक संभावित परिणाम होगी, लेकिन मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय, जिससे मृत्यु होना संभावित हो, अनुपस्थित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग वहाँ लागू होता है जहाँ 'आशय' होता है, जबकि द्वितीय भाग वहाँ लागू होता है जहाँ केवल 'ज्ञान' होता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त को धारा 304 के किसी भी भाग के तहत दोषी ठहराने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी भी परिस्थिति के तहत कारित की गई हो, जिनमें शामिल हैं—गंभीर और अचानक उकसावे के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के दौरान कारित मृत्यु, शरीर या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते समय, और बिना किसी पूर्व-नियोजन के, आवेश की स्थिति में अचानक हुए झगड़े के दौरान कारित मृत्यु। किसी कार्य को करने से होने वाले परिणामों का 'ज्ञान' उस ‘आशय’ से काफी भिन्न है जो यह दर्शाता है कि एक विशेष परिणाम सुनिश्चित होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पूर्व भाग को आकर्षित करने के लिए 'आशय' का तत्व एक कारक है, जबकि बाद के भाग के लिए 'ज्ञान' का तत्व एक कारक है। आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया गया कार्य है, जबकि ज्ञान एक ऐसी जागरूकता है जो इस बात से भली-भाँति अवगत कराती है कि किसी कार्य को करने से एक विशेष परिणाम घटित हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **रवींद्र शालिक नाइक और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 12 एस.सी.सी. 257** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है कि:

> "अचानक झगड़ा और कोई पूर्व-चिंतन नहीं और लड़ाई तब शुरू हुई जब अभियुक्त पक्ष की कपास/घास की गठरी शिकायतकर्ता की छत से टकराई और उसे नुकसान पहुँचाया—शिकायतकर्ता के पति (अ.सा.-3) ने झगड़ा शुरू किया, जो शिकायतकर्ता के ससुर थे, उन्होंने बीच-बचाव किया और झगड़ा रुकवाया—एस और उसके बेटे आर तथा एन (अपीलार्थी -अभियुक्त पक्ष) घर गए और कुल्हाड़ी, चाकू तथा गुप्ती लेकर वापस मौके पर आए और मृतक 'के' के सिर एवं पेट पर तथा शिकायतकर्ता के पति के हाथ पर मृत्यु कारित करने के आशय से चोटें पहुँचाईं—अस्पताल ले जाने पर 'के' को मृत घोषित कर दिया गया—तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि उचित दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अंतर्गत होगी।"

19. **सतीश नारायण सावंत बनाम गोवा राज्य, (2009) 17 एस.सी.सी. 724** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "*40*. यह सुस्थापित विधिक स्थिति होने के कारण, जब हम उपरोक्त निर्धारित सिद्धांतो के आधार पर वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का परीक्षण करते हैं, तो हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए विचारों से सहमत होने में असमर्थ हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अभिलेख से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि घटना से पहले कहा-सुनी हुई थी। घटना स्थल एक ऐसा निवास स्थान है जहाँ दोनों पक्ष रहते हैं और अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक किसी हथियार से लैस था। प्रारंभ में अपीलार्थी-अभियुक्त के पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन घटना के दौरान वह अंदर गया और एक चाकू लेकर आया जिसकी सहायता से उसने मृतक को चाकू से वार किया। अ.सा.-7 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि चाकू की चोट से हुई मृत्यु 'चोट संख्या 1' के परिणामस्वरूप हुई थी और अन्य सभी चोटें मामूली प्रकृति की थीं। अतः, केवल 'चोट संख्या 1' ही घातक प्रकृति की थी। तथ्यात्मक रूप से, चाकू से वार के कारण केवल एक ही मुख्य चोट आई थी और वह भी मृतक की पीठ पर वार की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या करने या किसी विशेष मात्रा की गंभीर चोट पहुँचाने का कोई आशय था।"

20. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी मृतका का '*जेठ*' है। दिनांक 04-06-2006 को सुबह लगभग 8:00 बजे, मृतका अपीलार्थी के घर गई और उसने तार के बारे में पूछताछ की। इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि झगड़े के कारण अपीलार्थी अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसके पश्चात यह कहते हुए कि —"मृतका प्रतिदिन झगड़ा करती है, वह उसे नहीं छोड़ेगा"—अपीलार्थी अपने घर के भीतर से टांगिया (कुल्हाड़ी) लेकर आया और मृतका के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।

21. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा यह विचार है कि अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आएगा और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के तहत दंड के लिए दायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के तहत दोषी ठहराया जाता है और 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore